

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/55368/GKP/GORAKHPUR/368/CFO

दिनांक : 29-06-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RADHIKA SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **648-KARHWAL,,MAJHGAONWA,,GORAKHPUR** तहसील - **Bansgaon** प्लॉट एरिया **8094.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4336.14** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RADHIKA SENIOR SECONDARY SCHOOL	1	1	10

में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **01-07-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIRENDRA KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-07-2022** से **30-06-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RADHIKA SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RADHIKA SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSSO GIDA, 1-भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को कार्यशील दशा में बनाये रखना एवं एन0बी0सी0 मानकों का पालन किया जाना सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/स्वामी का उत्तदायित्व होगा। 2-भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र नवीन संशोधित शासनादेश संख्या-187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक-07-01-2022 के अनुसार निर्गत किया जा है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEVENDRA KUMAR SINGH

BE7F7CABDD3C527F0B57AF21168840E0A7651DF1

01-07-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **01-07-2022**
स्थान : **GORAKHPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.